

औद्योगिक अल्कोहल वनियमन

प्रलिस के लयः

[सर्वोच्च नयायालय](#), [भारत के मुख्य नयायाधीश](#), [उत्पाद शुल्क](#), [वस्तु एवं सेवा कर \(GST\)](#), सातवीं अनुसूची

मेन्स के लयः

नीतयः के नरमाण और कार्यानवयन से उत्पन्न मुद्दे, राज्य के राजस्व सृजन में उत्पाद शुल्क की भूमिका और इसका प्रभाव

[स्रोत: इंडयन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

[भारत के मुख्य नयायाधीश \(CJI\)](#) के नेतृत्व में [सर्वोच्च नयायालय](#) वर्तमान में **9 नयायाधीशों की संवधान पीठ** के साथ एक मामले की सुनवाई कर रही है। यह मामला इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क को वनियमति करने और लगाने का अधिकार है।

नोटः

- मादक पेय पदार्थों के वपिरीत, औद्योगिक अल्कोहल **मानव उपभोग (वकृत) के लयः नहीं** है। इसका अनुप्रयोग वभिन्न कषेत्रों में होता है, जसमें फारमास्यूटकिल्स, कीटाणुनाशक, रसायन और यहाँ तक कि जैव ईंधन का नरमाण भी शामिल है।

औद्योगिक अल्कोहल के संबंध में संवधानिक ववाद क्या है?

- संवधानिक ढाँचा:**
 - राज्य सूची (प्रवषिट 8):** भारतीय संवधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रवषिट 8 मादक अल्कोहल के उत्पादन, नरमाण, अधिकार, परविहन, खरीद और बक्री से संबंधित कानून बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति से संबंधित है।
 - संघ सूची (प्रवषिट 52):** यह संसद को सार्वजनिक हति में समीचीन समझे जाने वाले उद्योगों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
 - समवर्ती सूची (प्रवषिट 33):** राज्यों और केंद्र दोनों को उद्योगों पर कानून बनाने की अनुमति देती है, इस शर्त के साथ कि राज्य के कानून केंद्रीय कानूनों का खंडन नहीं कर सकते।
 - औद्योगिक अल्कोहल **उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, 1951 (IDRA)** के अंतर्गत आता है, जो इसे वनियमन की वस्तु के रूप में सूचीबद्ध करता है। संसद का यह अधनियम केंद्र सरकार को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमति करने की शक्ति प्रदान करता है।
- मुख्य मुद्दा:**
 - केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या राज्यों के पास औद्योगिक अल्कोहल को वनियमति करने की स्वायत्तता है या क्या विशेष नयंत्रण केंद्र के पास है।
- कानूनी व्याख्या:**
 - समवर्ती सूची** के वषियों को **राज्य और केंद्र दोनों द्वारा वनियमति कया जा सकता है**, लेकिन राज्य के कानून केंद्रीय कानून के साथ टकराव नहीं कर सकते।
 - IDRA 1951, जो औद्योगिक अल्कोहल को सूचीबद्ध करता है, वषिय वस्तु पर केंद्रीय नयंत्रण की व्याख्या करता है।

राज्यों के तर्क क्या हैं?

- प्रवषिट 8 की व्याख्या:

- यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सूची की प्रवर्षि्टि 8 में "नशीली शराब" वाक्यांश में **अल्कोहल युक्त सभी तरल पदार्थ शामिल हैं** ।
- संवैधानिक उत्पाद शुल्क कानूनों में 'शराब (liquor)', 'मद्यसार(spirit)' और 'नशीला पदार्थ (intoxicant)' जैसे शब्दों के ऐतिहासिक उपयोग पर बल दिया गया है ।
- **संघ की शक्तिका क्षेत्र:**
 - यह तर्क दिया जाता है कि **संघ सूची की प्रवर्षि्टि 52 वकृतीकरण के बाद औद्योगिक अल्कोहल जैसे "तैयार उत्पादों" के वनियमन तक वसितारति नहीं होती है** ।
 - यह दावा कया गया है कि ऐसा नयितरण **समवर्ती सूची की प्रवर्षि्टि 33 के अंतरगत आता है** । औद्योगिक अल्कोहल वनियमन पर वशिष अधकार का प्रयोग करने के लयि, केंद्र को **IDRA की धारा 18-G के तहत एक आदेश जारी करने की आवश्यकता होगी** । ऐसे आदेश के बनिा, राज्य क्षेत्राधिकार बरकरार रखते हैं ।
 - '**वकृत अल्कोहल**' शब्द का तात्परय **जहरीले या खराब स्वाद वाले एडटिविस (जैसे मेथनॉल, बेंजीन, पाइरीडीन, अरंडी का तेल, गैसोलीन और एसीटोन) की मलावट वाले अल्कोहल उत्पादों से है, जो इसे मानव उपभोग के लयि अनुपयुक्त बनाता है** ।
- **राज्यों की शक्तियों का संरक्षण:**
 - **राज्यों के घटते अधकार के प्रति सावधानी व्यक्त की गई है** । **ITC 2002 का हवाला देते हुए, जो इस बात पर बल देता है कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं हैं** ।
 - यह राज्यों की संवैधानिक शक्तियों को बनाए रखने और उनकी स्वायत्तता को कमजोर करने वाली व्याख्याओं से बचने की आवश्यकता पर बल देता है ।

अन्य मामले क्या हैं?

- **सथिटक्स एंड केमकिलस लमिडिड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1989:**
 - **7 न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने माना कि राज्य सूची की प्रवर्षि्टि 8 के अनुसार राज्यों की शक्तियाँ "नशीली शराब" को वनियमति करने तक सीमति थी, जो औद्योगिक अल्कोहल से भनिन है** ।
 - मूलतः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **केवल केंद्र ही ऐसी औद्योगिक शराब पर लेवी या कर लगा सकता है जो मानव उपभोग के लयि नहीं है** ।
 - सर्वोच्च न्यायालय **चौधरी टीका रामजी बनाम यू.पी. राज्य मामले, 1956** में अपने ही पूर्व संवधान पीठ के फैसले पर वचिर करने में वफिल रहा ।
- **चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1956:**
 - **इस मामले में उद्योग (वकिस और वनियमन) अधनियम, 1951 (IDRA) की धारा 18-G के तहत वशिष केंद्रीय क्षेत्राधिकार का दावा करने वाली चुनौती के खलिाफ सर्वोच्च न्यायालय ने गन्ना उद्योग को वनियमति करने वाले उत्तर प्रदेश के कानून को बरकरार रखा** ।
 - सत्तारूढ ने संघीय शासन के लयि एक महत्त्वपूर्ण मसाल कायम करने वाले केंद्रीय कानूनों की उपस्थति में भी उद्योगों से संबंधति कानून बनाने के राज्यों के अधकार की पुष्टकी ।

उत्पाद शुल्क क्या है?

- उत्पाद शुल्क एक अपरत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं पर उनके उत्पादन, लाइसेंसिंग और बकरी के लयि लगाया जाता है । यह वस्तु के उत्पादकों द्वारा भारत सरकार को भुगतान कया जाता है और देश के बाहर से आने वाले माल पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के वपिरीत, घरेलू स्तर पर नरिमति माल पर लागू होता है ।
 - इससे पहले केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क को **केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतरिकित उत्पाद शुल्क** आदिके रूप में लगाया जाता था । हालाँकि **जुलाई 2017 में वस्तु और सेवा कर (GST)** की शुरुआत ने कई प्रकार के उत्पाद शुल्क को शामिल कया । **वर्तमान में उत्पाद शुल्क केवल पेट्रोलियम और अल्कोहल पर लागू होता है** ।
 - **वनिरिमति वस्तुओं के नरिमाण के समय उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर GST लगाया जाता है** ।
- **अल्कोहल पर लगाया जाने वाला उत्पाद शुल्क राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक है**, राज्य अक्सर अपनी आय बढ़ाने के लयि अल्कोहल की खपत पर उत्पाद शुल्क जोड़ते हैं ।
 - उदाहरण के लयि, वर्ष 2023 में कर्नाटक ने भारतीय नरिमति शराब (IML) पर अतरिकित उत्पाद शुल्क (AED) में 20% की बढ़ोतरी की ।

वशिषताएँ	परशुद्ध अल्कोहल	वकृतीकृत अल्कोहल
घटक	शुद्ध इथेनॉल (C ₂ H ₅ OH) न्यूनतम या बनिा कसिी योजक/वकृतीकरण के	इथेनॉल (C ₂ H ₅ OH) योजक/वकृतीकरण की उच्च सांद्रता के साथ ।
सुरक्षा	पीने योग्य लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ सेवन कया जाना चाहयि ।	वषिला और उपभोग के लयि अनुपयुक्त ।
योजक	इसमें थोड़ी मात्रा में अशुद्धयिँ हो सकती हैं ।	इसमें उच्च मात्रा में मेथनॉल जैसे योजक होते हैं, जो इसे वषिकृत बनाते हैं ।

वशिषताएँ	परशुद्ध अलकोहल	वकृतीकृत अलकोहल
घटक	शुद्ध इथेनॉल (C ₂ H ₅ OH) न्यूनतम या बनिा कसीं योजक/वकृतीकरण के	इथेनॉल (C ₂ H ₅ OH) योजक/वकृतीकरण की उच्च सांद्रता के साथ ।
सुरक्षा	पीने योग्य लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ सेवन कया जाना चाहयिे ।	वषिला और उपभोग के लयिे अनुपयुक्त ।
अनुपयोग	प्रयोगशाला अनुपयोग (उदाहरण के लयिे सतहों को कीटाणुरहति करना, रसायन नकालना), चकितिसा अनुपयोग (उदाहरण के लयिे, उपकरणों को स्टरलाइज़ करना, आदी)	औद्योगिकि उपयोग (उदाहरण के लयिे, ईधन, सफाई सॉल्वेंट्स), वषिकतता के कारण चकितिसा या प्रयोगशाला सेटगि्स में उपयोग नही कया जा सकता है ।
गंध और स्वाद	वशिषिट अलकोहलकि गंध, थोड़ा मीठा स्वाद	दुरगंध, कड़वा स्वाद
कराधान	इसकी शुद्धता के कारण उच्च करों की संभावना है ।	पीने योग्य इसकी अनुपयुक्तता के कारण कम कर दर या कर-मुक्त

दृषट भिन्स प्रश्न:

प्रश्न . औद्योगिकि शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने और वनियमति करने के राज्यों के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामले के महत्त्व पर चर्चा कीजयिे । इसके परणाम केंद्र - राज्य संबंधों और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावति कर सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष प्रश्न

??????:

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सम्मलिति कयिे गए हैं । भारत में जुलाई, 2017 से क्रयान्वति GST के राजस्व नहितारर्थों पर भी टपिपणी कीजयिे । (2019)

प्रश्न. संवधान (एक सौ एक संशोधन) अधनियम, 2016 के प्रमुख अभलिकषणों को समझाइये । क्या आप समझते हैं कयिह "करों के सोपानकि प्रभाव को समाप्त करने में और माल तथा सेवाओं के लयिे साझा राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराने" में काफी प्रभावकारी है? (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/industrial-alcohol-regulation>

